

राजस्थान सरकार
नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा



क्रमांक: BHL/2020-21/BPAS/1862

दिनांक: 25/03/2021

विषय: 3, TILAK NAGAR (आवेदित भूखण्ड का विवरण) के भवन मानचित्र स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग: आपका आवेदन पत्र BHL/2020-21/BPAS/1862 (Application ID)

श्री / श्रीमती **BAL CHAND CHORDIA** फर्म का नाम **TRIVENI ENTERPRISES** निवासी **29, HEERA PANNA MARKET, PUR ROAD**

क. सैटबैक (मीटर)

भूमि उपयोग का प्रयोजन: **RESIDENTIAL (FLATS)**

सामने: **12**

पाश्व-1: **9**

पाश्व-2: **9**

पीछे: **9**

निर्माण वैधता तिथि: **25/03/2024**

उपरोक्त विषय अन्तर्गत लेख है कि आपके द्वारा भवन मानचित्र अनुमोदन / निर्माण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत भवन मानचित्रों के परीक्षण उपरान्त में निम्न शर्तों के साथ भवन मानचित्रों स्वीकृत किये जाते हैं:-

1. उक्त भूखण्ड तिलक नगर योजना में भूखण्ड संख्या 3 क्षेत्रफल 4429.15 वर्गमीटर है। जिसका साईट प्लान आपको जारी किया हुआ है। इस साईट प्लान के अनुसार भूखण्ड में सामने 60 मीटर सड़क स्थित है।
2. राजस्थान नगरीय क्षेत्र भीलवाड़ा भवन विनियम 2020 के प्रावधानों के अनुसार भूखण्ड के आगे न्यूनतम 12 मीटर तथा तीनों साईड में 9.0-9.0 मीटर के सेट बैक छोड़ने होंगे।
3. न्यास द्वारा आपको दिनांक 18.06.2020 को जारी पट्टा विलेख पत्रों में वर्णित सभी शर्तों का पूर्ण पालना करना होगा।
4. राजस्थान नगरीय क्षेत्र भीलवाड़ा भवन विनियम 2020 के प्रावधानों के अनुसार भवन की ऊँचाई 30 मीटर से अधिक नहीं होगी।
5. प्रस्तुत भवन मानचित्र में 122.69 ई.सी.यू. पार्किंग की आवश्यकता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत भवन मानचित्र के अनुसार स्टील्ट

Signature valid



Digitally Signed by ANUPAM SHARMA
Designation : ASSISTANT TOWN
PLANNER
Date: 2021.03.25 12:43:47 IST
Reason: Approved
Location: BHILWARA

फ्लोर पर एवं सेट बेक क्षेत्र में कुल 136 ई.सी.यू. पार्किंग उपलब्ध कराई है जो कि कुल आवश्यक पार्किंग से अधिक है ।

6.यह भवन निर्माण स्वीकृति राजस्थान नगरीय क्षेत्र भीलवाड़ा भवन विनियम 2020 के प्रावधानों के अन्तर्गत जारी की जा रही है। अतः भवन निर्माण करते समय इन भवन विनियमों में वर्णित शर्तों की पूर्ण पालना करना होगा । धारा 15.5 के अनुसार भवन विनियम की अपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण करने की जिम्मेदारी भवन निर्माण अनुज्ञाधारी की होगी।

7.राजस्थान नगरीय क्षेत्र भीलवाड़ा भवन विनियम 2020 के अनुसार इस भूखण्ड में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत भवन मानचित्रों में बी.ए. आर 2.9 चाहा है। अतः भवन निर्माण हेतु बी.ए.आर 2.9 की स्वीकृति दी जाती है। अतः इससे अधिक बी.ए.आर का निर्माण नहीं किया जावेगा। अतिरिक्त बी.ए.आर. हेतु जमा योग्य बेटरमेन्ट लेवी भवन विनियमों के प्रावधानानुसार जमा करवायी जानी होगी।

8.राजस्थान नगरीय क्षेत्र भीलवाड़ा भवन विनियम 2020 में उल्लेखित मानदण्ड, सुविधाएं, आकार संरचनात्मक एवं सुरक्षात्मक मापदण्डों के अध्यक्षीन कराया जावे तथा भवन संरचनात्मक तथा सुरक्षात्मक दृष्टि से उपयुक्त हो यह सुनिश्चित करने के लिये राष्ट्रीय भवन संहिता में निर्धारित भवन निर्माण मानक स्तर के अनुसार निर्माण कराया जावे ।

9.भवन भूकम्परोधी हो यह सुनिश्चित करने के लिये राष्ट्रीय भवन संहिता के प्रावधानानुसार भूकम्परोधी सभी उपाय किये जायें।

10.भवन निर्माण योग्य एवं पंजीकृत वास्तुविद् एवं इंजीनियर की देखरेख में कराया जाये भवन संरचनात्मक दृष्टि से सुरक्षित हो यह प्रार्थी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी ।

11.भवन में राष्ट्रीय भवन संहिता एवं भवन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार सौर ऊर्जा संयंत्रों की व्यवस्था करनी होगी ।

12.भूगर्भ के जल स्तर को बढ़ाने के लिये भवन विनियम के प्रावधानों के अनुसार बोरवेल एवं टांके का निर्माण कर वर्षा जल का पुनर्भरण करना होगा जिस हेतु निर्धारित संरचना का निर्माण करना होगा ।

13.भूखण्ड जिस प्रयोजन हेतु आवंटित किया गया है तथा जिस प्रयोजन हेतु ही भवन निर्माण स्वीकृति दी जा रही है । उससे भिन्न उपयोग बिना न्यास की स्वीकृति के नहीं किया जा सकेगा।

14.राजस्थान नगरीय क्षेत्र-भीलवाड़ा भवन विनियम, 2020 की धारा 15.1 के अनुसार भूखण्ड पर भवन का निर्माण, भवन निर्माण स्वीकृति दिनांक से तीन वर्ष में निर्माण कार्य प्रारंभ कर निर्धारित अवधि में स्वीकृत मानचित्र अनुसार कुल प्रस्तावित निर्माण क्षेत्र का कम से कम 50 प्रतिशत क्षेत्र निर्माण किया जाना होगा।

15.भवन निर्माण आरम्भ करने की सूचना प्रार्थी द्वारा लिखित में न्यास को देनी होगी।

16.स्वीकृत मानचित्रों का भूखण्ड के बाहर जनसामान्य की जानकारी हेतु बोर्ड पर प्रदर्शन करना होगा।



Signature valid

Digitally Signed by ANUPAM SHARMA
Designation : ASSISTANT TOWN
PLANNER
Date: 2021.03.25 12:43:47 IST
Reason: Approved
Location: BHILWARA

17.राज्य सरकार द्वारा समय –समय पर जारी नियमों/विनियमों/उप-नियमों/ निर्देशों आदि की पालना करना आवश्यक होगा तथा कोई और राशि लेय बनती है तो जमा कराना होगा।

18.भवन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार पार्किंग का प्रावधान भूखण्ड के अंदर ही कराना होगा व निर्धारित पार्किंग स्थल को अन्य उपयोग में नहीं लाएंगे।

19.स्वीकृति निर्माण पूर्ण कर अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा एवं रेरा का रजिस्ट्रेशन करवाया जाना अनिवार्य होगा।

20.राजस्थान नगरीय क्षेत्र भीलवाड़ा भवन विनियम 2020 के पेरा 14.15 के अनुसार बहुमंजिले भवनों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग निर्माण, एन.बी.सी. के प्रावधानों के अनुसार अग्निशमन एवं भूकम्परोधी प्रावधान, नियमानुसार ग्रीनरी तथा प्लान्टेशन की उपलब्धता एवम पार्किंग के प्रावधानों को सुनिश्चित करने तथा वर्षा जल संग्रहण हेतु अमानत राशि भूखण्ड के कुल क्षेत्रफल 4429.15 वर्गमीटर के लिए 6.00 लाख रुपये की बैंक गारंटी अमानत के तौर पर पूर्व में ले ली गई है जो कि अधिवास प्रमाण पत्र के समय उक्त व्यवस्था करने की स्थिति पर लौटाई जा सकेगी।

21.विकलांग व्यक्तियों के लिये लिफ्ट तक जाने के लिए रेम्प निर्माण का प्रावधान करना होगा।

22.आग से बचाव हेतु हर समय पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये भवन की छत पर समुचित क्षमता के दो टैंक बनाये जावेंगे जो कि केवल आग बचाव के लिये उपयोग में लिये जावेंगे तथा नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के आदेश दिनांक 21.01.2020 के प्रावधानानुसार एन.बी.सी.-2016 के तहत आग से बचाव व सुरक्षा हेतु प्रावधान किये जाने अनिवार्य होंगे तथा भवन निर्माण करने के पश्चात् फायर एन.ओ.सी. सक्षम अधिकारी द्वारा प्राप्त की जाना होगी।

23. राजस्थान नगरीय क्षेत्र-भीलवाड़ा भवन विनियम, 2020 की धारा 18.3 की अनुपालना में " गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गयी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।

24. प्रश्नगत प्रकरण किसी भी न्यायालय में यदि लंबित है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। यदि मानचित्र जारी होने के पश्चात यह अवगत हुआ कि किसी भी माननीय न्यायालय में प्रकरण लम्बित है अथवा विपरीत निहित है तो मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।

25.उक्त वर्णित शर्तों में से किसी एक भी शर्त का प्रार्थी द्वारा उल्लंघन किया जावेगा तो यह निर्माण स्वीकृति स्वतः निरस्त

Signature valid



Digitally Signed by ANUPAM SHARMA
Designation : ASSISTANT TOWN
PLANNER
Date: 2021.03.25 12:43:47 IST
Reason: Approved
Location: BHILWARA

मानी जावेगी तथा निर्माण स्वीकृति के विरुद्ध किया गया निर्माण अवैध माना जाकर प्रार्थी को बिना कोई अलग से नोटिस दिये यह अवैध निर्माण न्यास द्वारा प्रार्थी के खर्चे पर विध्वंस कर दिया जाएगा । जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी ।

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति की आज्ञा से सचिव,

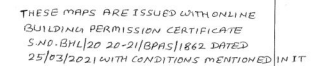
नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा



Signature valid

Digitally Signed by ANUPAM SHARMA
Designation : ASSISTANT TOWN
PLANNER
Date: 2021.03.25 12:43:47 IST
Reason: Approved
Location: BHILWARA

नोट: यह एक डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र है और इसके लिए किसी भौतिक हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

[illegible]

उप नगर नियोजक
नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा

For Triveni Enterprises



Partner

TRIVENI ENTERPRISES
APPLICANT

PROPOSED RESIDENTIAL MULTI STORY BUILDING PLAN AT PLOT NO. - 3 AT TILAK NAGAR, BHILWARA (OWNER :TRIVENI ENTERPRISES)

सविन आरटी नं. १६६/२०१८-१३३
दिनांक २५/३/२०१८ मसुदा स्वरूप ३ वरुं

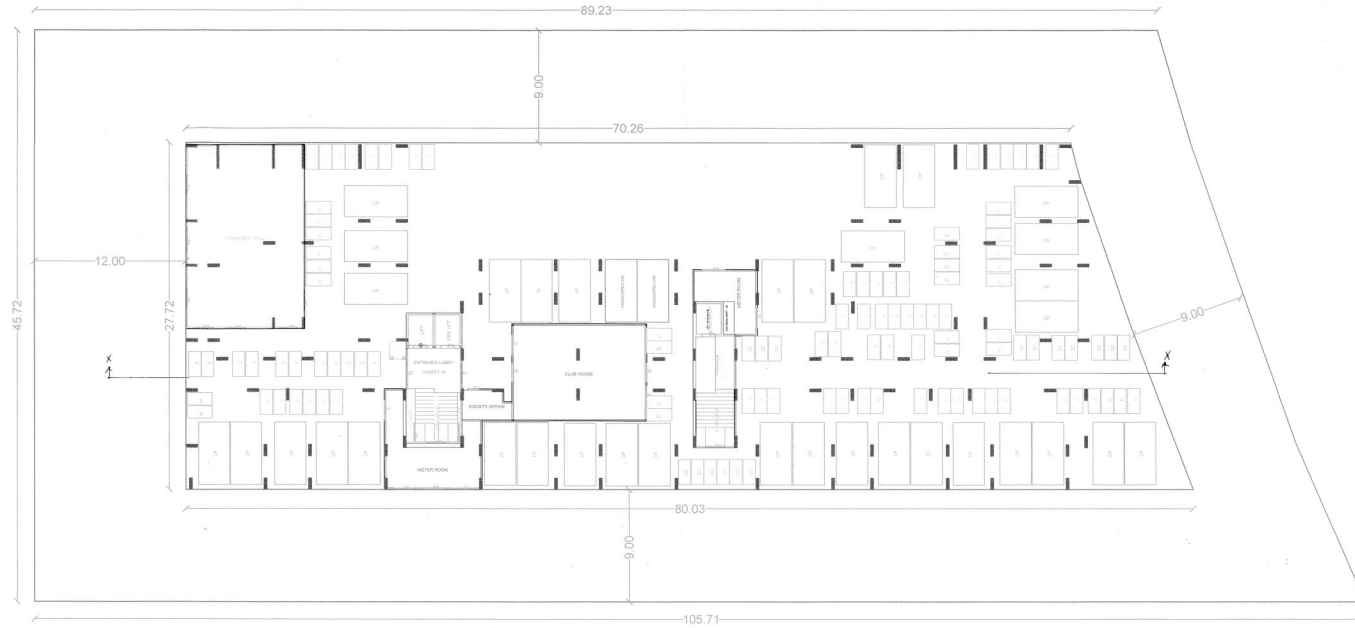


अनुमोदित मानचित्र के आधार पर सही हो स्वरूपित
पहा माना जावे।

SCALE :- 1 CM : 2.0 M

SHEET NO.: 02 OF 05

भवन नियंत्रण की अवेकरी/पहली से अनुमति प्राप्त
उप निर्माण किया जावे। भवन बनाने पर तालाब मानक
सहित/न. विस्तार के प्रस्तावों के अनुसार करते हुये
सुदृढ निर्माण किया जाने की जिम्मेदारी अनुमति
की होगी।



STILT FLOOR PLAN



GROUND FLOOR PLAN

THESE MAPS ARE ISSUED WITH ONLINE
BUILDING PERMISSION CERTIFICATE S.NO.
BH/13020-21/BPAS/1862 DATED 25/3/2018
WITH COMBINATION PRESENTED ID 24 IT.

सप नगर नियोजक
नगर प्रिजिडेंट **चक्रा, धीरनम**
Chakra

For Triveni Enterprises



TRIVENI ENTERPRISES
APPLICANT



PROPOSED RESIDENTIAL MULTI STORY BUILDING PLAN AT PLOT NO. - 3 AT TILAK NAGAR, BHILWARA (OWNER :TRIVENI ENTERPRISES)

133
13/03/21
13/03/21

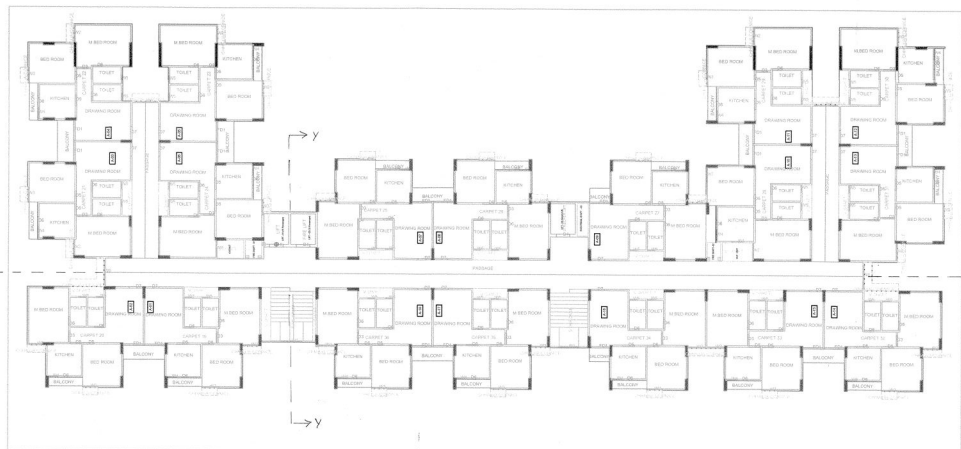
आपने अपने नाम पर भूमि का खर्च
मुझे प्राप्त है।



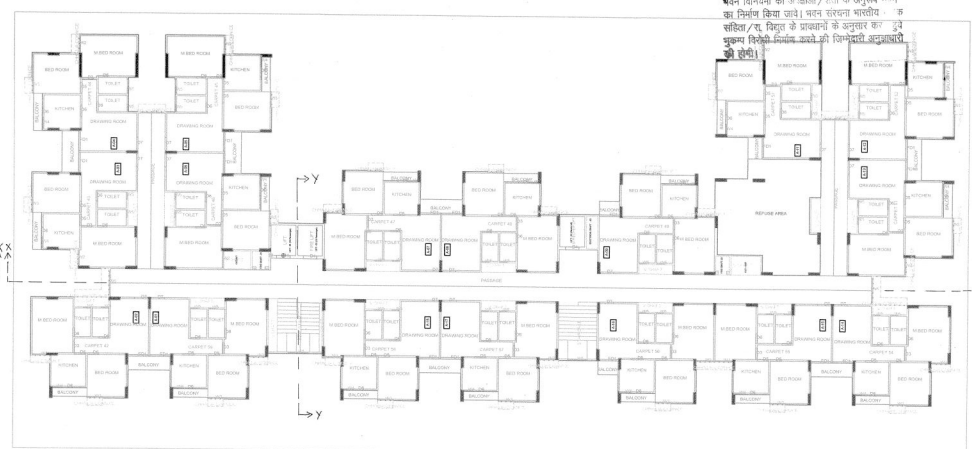
SCALE :- 1CM : 2.0 M

SHEET NO. : 03 OF 05

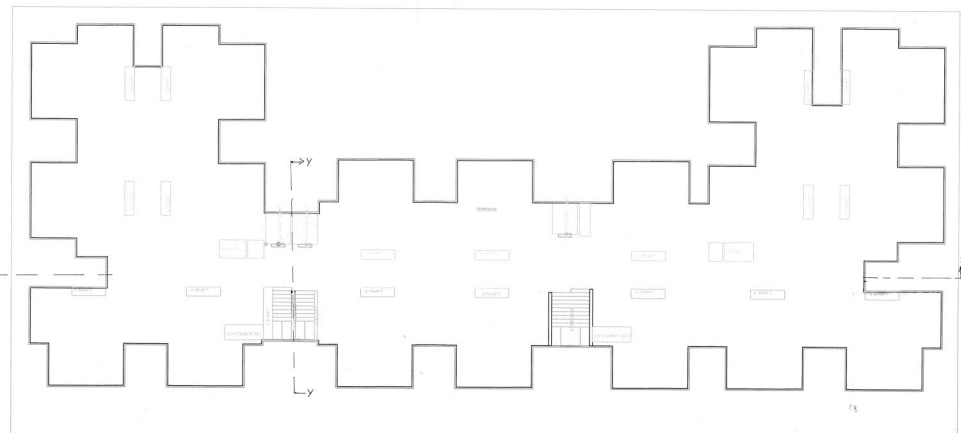
मान प्रिये की ओर से/हमारे के अनुसार मान
का निर्माण किया जाये। मान प्रिये मान प्रिये
के निर्माण/प. निर्माण के अनुसार का/हम
अनुसार निर्माण करने की निर्देशनी अनुसंधान
की है।



TYPICAL - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 FLOOR PLAN



EIGHTH FLOOR PLAN



TERRACE FLOOR PLAN

THESE MAPS ARE ISSUED WITH ONLINE
BUILDING PERMISSION CERTIFICATE S.NO.-
BHL/2020-31/8PAS/1862 DATED 25/03/21
WITH CONDITIONS MENTIONED IN IT.

उप नगर नियोजक
नगर विकास विभाग, भीलवाड़ा



For Triveni Enterprises
Partner

TRIVENI ENTERPRISES
APPLICANT

PROPOSED RESIDENTIAL MULTI STORY BUILDING PLAN AT PLOT NO. - 3 AT TILAK NAGAR, BHILWARA (OWNER : TRIVENI ENTERPRISES)

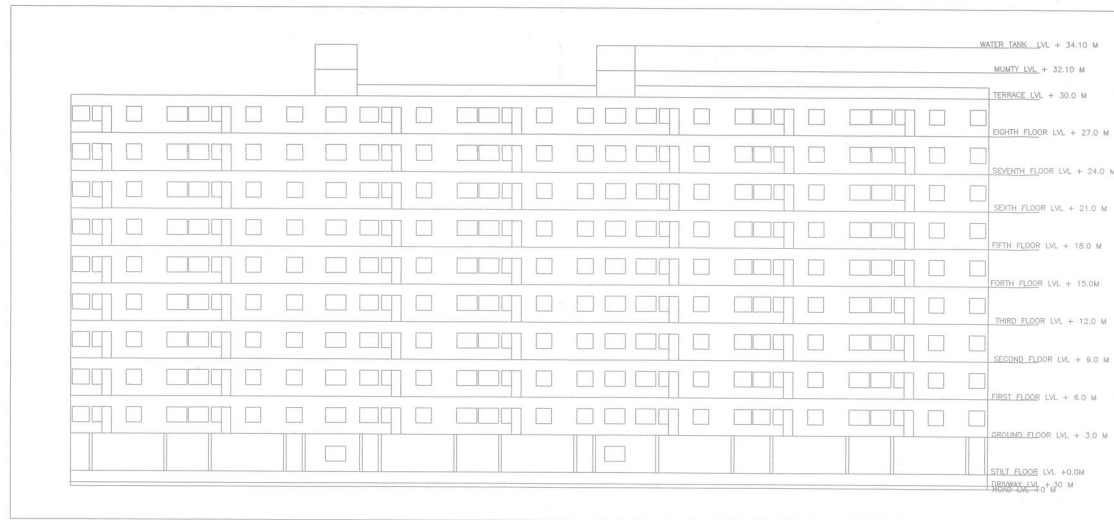
भारतीय नगरपालिका कार्यवाही नियम 133
अनुसार 25/3/21



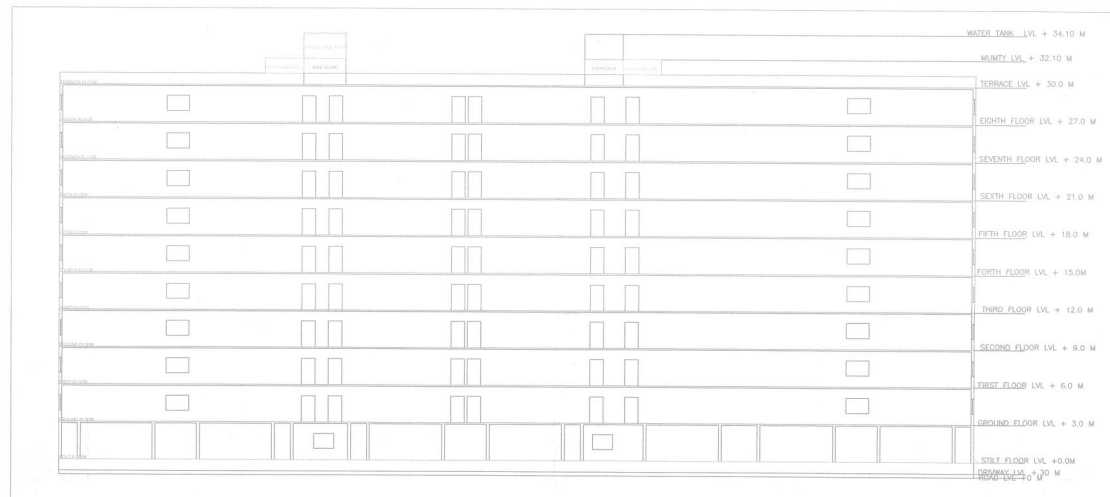
SCALE :- 1CM : 2.0 M

सम्बन्धित नक्शे के आधार पर भूमि का स्थानिक
प्रतीक दर्शाया जाये।
SHEET NO. : 04 OF 05

यह नक्शा नगरपालिका की ओर से जारी किया जाये। यह नक्शा नगरपालिका के अधिकार क्षेत्र में जारी किया जाये। यह नक्शा नगरपालिका के अधिकार क्षेत्र में जारी किया जाये। यह नक्शा नगरपालिका के अधिकार क्षेत्र में जारी किया जाये।



ELEVATION



SECTION X-X

THESE MAPS ARE ISSUED WITH ONLINE
BUILDING PERMISSION CERTIFICATE S.NO.
-BHL/2020-21/B.P.A.S/1062 DATED 25/03/21
WITH CONDITIONS MENTIONED IN IT.

उप नगर नियोजक
नगर निगम, पंचायत, भिलावर

For Triveni Enterprises

Triveni Enterprises



TRIVENI ENTERPRISES
APPLICANT

PROPOSED RESIDENTIAL MULTI STORY BUILDING PLAN AT PLOT NO. - 3 AT TILAK NAGAR, BHILWARA (OWNER :TRIVENI ENTERPRISES)

महानगरपालिकाको कार्यालय
चौमाला, काठमाडौं



यस नक्शाको तयारी गर्ने व्यक्तिको नाम र पता लेख्नुपर्नेछ।

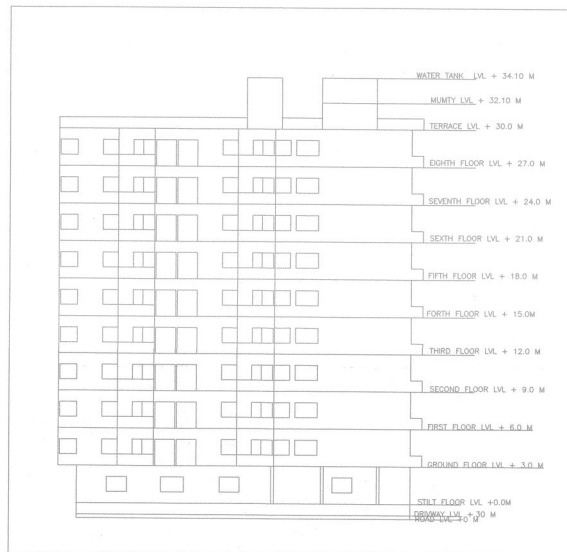
SCALE :- 1CM : 2.0 M

यस नक्शाको तयारी गर्ने व्यक्तिको नाम र पता लेख्नुपर्नेछ।
साथमा/स. वि. नं. ३ को नक्शाको तयारी गर्ने व्यक्तिको नाम र पता लेख्नुपर्नेछ।
यस नक्शाको तयारी गर्ने व्यक्तिको नाम र पता लेख्नुपर्नेछ।

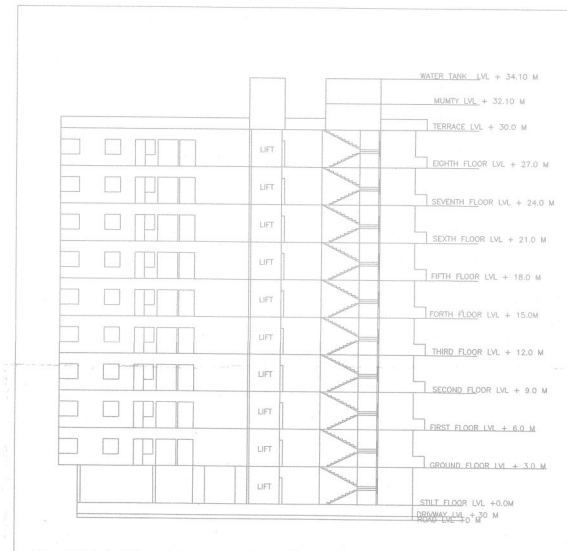
SHEET NO. : 05 OF 05



EAST SIDE ELEVATION



FRONT ELEVATION



SECTION - Y, Y

THESE MAPS ARE ISSUED WITHIN THE
BUILDING PERMIT CERTIFICATE
SNO. 841/2020-21/BPAS/862 DATED
25/03/2021 WITH CONDITIONS MENTIONED IN IT.

उप नगर निगम
काठमाडौं, नेपाल

For Triveni Enterprises
Partner

TRIVENI ENTERPRISES
APPLICANT